Mining Lease/ Quarry License (For Khatedari land with area above 4 hectares & land other then khatedari land)

खातेदारी भूमि (चार हेक्टर से अधिक) और खातेदारी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि में खननपट्टा / क्वारी लाइसेंस आवेदन

चार हेक्टर से अधिक की खातेदारी भूमि और खातेदारी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि (सरकारी भूमि/वन भूमि/अन्य) /प्लॉट में खननपट्टा आवटंन जरिये ई–ऑक्शन किया जाता है। ई–ऑक्शन में उच्चतम बोलीदाता (सर्वाधिक प्रिमियम राषि बोलीदाता) को खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस आवटंन हेतु चयनित किया जाता है।

ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को एक बार के लिये MSTC Ltd. (ऑक्षन हेतु नियुक्त एजेन्सी) की वेबसाईट www.mstcecommerce.com पर पंजीकरण कराना होगा। (MSTC की वेबसाईट पर रजिस्ट्रेषन की प्रक्रिया संलग्न)

किसी भी प्लॉट को ई–ऑक्शन में लिये जाने हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है–

1. 4 हेक्टेयर से अधिक की खातेदारी भूमि की स्थिति में इच्छुक व्यक्ति द्वारा संबंधित कार्यालय में संपर्क किया जाता है एवं उस खातेदारी भूमि को ई–ऑक्शन में रखे जाने का आवेदन ऑनलाईन किया जाता है।
2. खातेदारी भूमि के अतिरिक्त अन्य खनिज युक्त क्षेत्र की पहचान संबंधित खनि अभियंता /सहायक खनि अभियंता कार्यालय द्वारा अपने स्तर से की जाती है।
3. संबंधित कार्यालय द्वारा खनिज युक्त भूमि का GPS/DGPS के माध्यम से सीमांकन किया जाता है।
4. इसके बाद संबंधित कार्यालय द्वारा भूमि के प्रकार (वन–भूमि/सरकारी भूमि/निजी भूमि) के अनुरूप आवश्यकतानुसार वन विभाग/राजस्व विभाग/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से अनापत्ति प्राप्त की जाती है।
5. इसके बाद संबंधित कार्यालय द्वारा उस भूमि के सभी मुख्य कोनो (कॉनर्स) के कोर्डिनेट (लेटिट्यूड–लॉंगिट्यूड) लिये जाकर ई–ऑक्शन हेतु एक प्लॉट तैयार किया जाता है।
6. तत्पश्चात् संबंधित कार्यालय द्वारा नवीन खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस प्लॉट की सूची, प्रस्ताव व विवरण मय चेकलिस्ट को तैयार कर संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता, वृत के मार्फत निदेशालय को ई–ऑक्शन किये जाने हेतु प्रेषित की जाती है।
7. निदेशालय में स्थापित बिडींग अनुभाग द्वारा e-auction हेतु प्राप्त प्लॉट का अनुमोदन कराने के पश्चात् e-auction की विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिसमें संबंधित खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस प्लॉट एवं बिडींग से संबंधित सम्पूर्ण विवरण दिया जाता है।